

राजस्थान सरकार
राजस्वपूर्णप-६२ विभाग


क्रमांक:- ४० २४६६ राज-६/०४/१
समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

जयपुर, दिनांक:- १७-७-२००५

परिपत्र

राज्य सरकार के द्यान में लाया गया है कि अध्यक्ष, ग्रामदानी गांव या अध्यक्ष, भूदान बोर्ड द्वारा ग्रामदानी गांवों में स्थान भूमियों वा भूदान बोर्ड की भूमियों के तहत अकृष्ण प्रबोजन हेतु प्रपरिवर्तन कर दिया जाता है जबकि वे उक्त नियमों के अन्तर्गत स्थान अधिकारी नहीं हैं। अध्यक्ष, ग्रामदानी गांव/भूदान बोर्ड द्वारा भूमि के रूपान्तरण आदेश जारी करना और उन्हीं व उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है। ऐसे आदेशों में राज्य सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है।

अतः इस लिटेरे दिये जाते हैं कि ग्रामदानी ग्राम/भूदान की जमीनों का कृषि से अकृषि में परिवर्तन/रूपान्तरण राजस्व विभाग के सपरिवर्तन नियमों के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जावें। यदि अध्यक्ष ग्रामदानी ग्राम/भूदान बोर्ड द्वारा स्थान नहीं होते हुए भी ग्रामदानी गांवों की भूमियों का कृषि से अकृषि प्रबोजन हेतु रूपान्तरण आदेश किया है तो उक्त भूमि का आकृष्टी कृषक अध्यक्ष ग्रामदानी ग्राम/भूदान बोर्ड की अनापति के साथ स्थान राजस्व अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा तथा स्थान राजस्व अधिकारी पर्योग्य कर, जो मामले नियमों के अनुरूप हो, उनमें नियमित राशि राज्य सरकार में जमा कराकर सपरिवर्तन आदेश जारी करेगा और जो मामलों नियमों के तहत सपरिवर्तन हेतु उचित नहीं पाये जाए, उन्हें निरस्त करने के आदेश जारी करेगा। पट परिपत्र इस विभाग के सम्मुख परिपत्र दिनांक २३-७-०४ की क्रम में जारी किया जाता है।

अम्बा दी

उप शासन सचिव
१५/१०५